राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनांक 22.10.2005 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, प्रशासनिक कार्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवाही विवरण

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थेः—

1.	प्रो0 परमात्मा सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद कपूर (संभागीय आयुक्त बीकानेर प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा)	सदस्य
3.	डा0 पोकरसिंह राठौड (परियोजना निदेशक अनुसंधान प्रतिनिधि निदेशक कृषि)	" "
4.	श्री मनोहर लाल बिश्नोई	" "
5.	डा0 डी. जी. धन्धर	" "
6.	डा0 एल.एल.शर्मा	" "
7.	डा0 पी. सी. जैन	" "
8.	डा0 ए.के.धामा	" "
9.	डा0 ए. के. गहलोत	" "
10.	डा0 हनुमान प्रसाद	" "
11.	डा0 एस. जे. सिंह	" "
12.	डा0 रामअवतार शर्मा	" "
13.	श्री एल.एन.गहलोत	सदस्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव कृषि उत्पादन, सचिव पशुपालन ने बैठक में भाग नहीं लिया।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति ने डा0आर.पी.सिंह, डा0 विक्रमआदित्य आहूजा एवं डॉ एस.के.शर्मा द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डा0 रामअवतार शर्मा के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया व डा0 एल.एल.शर्मा तथा श्री मनोहरलाल बिश्नोई को पुनः सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया साथ ही श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में पधारें श्रीमान् संभागीय आयुक्त बीकानेर, श्री विनोद कपूर तथा डॉ पोकर सिंह राठौड निदेशक कृषि के प्रतिनिधि के रूप में पधारने पर स्वागत किया।

राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 988	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.6.2005 व 5.7.2005 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि निम्न संशोधन के साथ पुष्टि की जाएः–** **राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 986(4)** **सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाएं निश्चित मानदेय / संविदा अवधि हेतु हुए निर्णय पर माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने सुझाव दिया कि रेप्सर ऐक्ट राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टॉफ का सुव्यवस्थिकरण) अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि इस प्रकार की सेवाएं आती हैं तो उनकी पालना भी की जावें ।**
राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 989	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.6.2005 व 5.7.2005 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि निम्न संशोधन के साथ कार्यवाही विवरण के बिन्दूओं पर की गई कार्यवाही को नोट कर लिया जाएः–** **राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 977** डा0 पोकर सिंह राठौड ने दुर्गापुरा फार्म के बाईपास के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के अनुसार की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी चाही । **उक्त बिन्दू पर पुनःविस्तृत विचार विमर्श करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने अवगत करवाया कि इस सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री जी का भी पत्र मिला हैं और अभी कोई कार्यवाई इस सम्बन्ध में नहीं की जा रही हैं ।**

	राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 983 माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने अवगत कराया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्यसरकार के निर्देश आने पर ही कार्यवाही की जावे ।
राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 990	कुलपति द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत । पारित **(Resolved)** किया गया कि कुलपति द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पुष्टि कर दी जाए ।
राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 991	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में **Dairy Science and Food Technology College (Faculty)** स्थापित करने के संबध में माननीय सदस्य श्री मनोहरलाल बिश्नोई द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार बाबत् । प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया । राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में उक्त दोनों महाविद्यालयों को स्थापित होने पर संभाग एवं प्रदेश के किसानों / पशुपालकों / छात्रों को इसका लाभ मिलेगा । पारित**(Resolved)** किया गया कि उक्त दोनों महाविद्यालयों की स्थापना की जाए । इस बाबत् एक समिति का गठन किया जाए जो भवन, स्टॉफ, तथा अन्य संसाधनों के सदर्भ में एक प्रस्ताव बनाकर देगी जिसे राज्यसरकार को अनुमति बाबत् भेजा जा सकेगा ।
राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 992	मननीय सदस्य डा0 ए, के, गहलोत द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें कार्यरत एवं सेवानिवृत कार्मिकों को उनकी प्रथम नियुक्ति दिनॉक से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना चाहिए पर विचार बाबत् ।

	पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरणों को विश्वविद्यालय स्तर पर परिक्षण करवा कर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णयार्थ रखा जाए ।
राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 993	मननीय सदस्य डा0 ए,के,गहलोत द्वारा प्राप्त प्रस्ताव जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र में चालू किये जाने वाले दो द्वि–वार्षिय पशुधन सहायक डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु प्रवेश शुल्क राज्य सरकार के अनुरूप प्रतिवर्ष राशि 28,500 प्रति छात्र प्रति वर्ष निर्धारित किया जावें के विचार बाबत् **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए ।**
राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 994	विश्वविद्यालय द्वारा जारी ऐसे नियमितिकरण आदेश, जिनमें कार्मिक के नाम के आगे कार्यग्रहण तिथि का अंकनहैं, लेकिन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं में नियमितिकरण का आशय कार्मिक की पद पर कार्यग्रहण तिथि से लिया जाकर आदेश जारी करने का प्रस्ताव पारित करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरणों को विश्वविद्यालय स्तर पर परिक्षण करवा कर आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णयार्थ रखा जाए ।**
राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 995	विश्वविधालय स्पोर्टस बोर्ड का नाम दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह स्पोर्टस बोर्ड रखने बाबत् । **पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय स्पोर्टस बोर्ड का नाम स्पोर्टस बोर्ड, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर रख लिया जाए ।**

राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 996	वरिष्ठ लेखाधिकारी,, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र कमांक एफ.(27)आर.बी / 2005 / 7821 दिनांक 19.10.2005 जिसमें उन्होंने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के सेक्शन 29(1)(अ) के तहत नियमित कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में प्रबन्ध मण्डल के द्वारा एक सदस्य को मनोनीत किये जाने हेतु लिखा हैं पर विचार करने बाबत् प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया तथा सदस्यों ने निम्न लिखित नामों को आगे बढाया:– 1. डॉ, आर.बी.सिंह, सदस्य राष्टीय किसान आयोग 2, डा0 एस.एच.आचार्य 3, डा0नगेन्द्र शर्मा 4, डा0 एस.एल.मेहता 5, डा0 कीर्ती सिंह 6, डा0 पंजाब सिंह **इन सब नामों पर विचार करने के बाद पारित (Resolved) किया गया कि डा0 आर.बी.सिंह, पद्म भूषण का नाम मनोनीत किया जाता हैं ।**
राकृवि / बोम–62 / 2005–5 / 997	माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत् । माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर व श्री मनोहर लाल बिश्नोई ने अवगत कराया कि श्री भंवर सिंह नाथावत व श्री हनुमान लाल कुमावत को इस विश्वविद्यालय में समायोजन करने बाबत् कुछ शिकायतें आई हैं । यह पारित **(Resolved) किया गया कि माननीय कुलपति महोदय एक समिति द्वारा जॉच करवा कर रिपोर्ट को आगामी बैठक में पटल पर रख देगें ।**
राकृवि / बोम–59 / 2005–1 / 998	अन्य कोई प्रकरण होतो माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति होने पर विचार करने बाबत ।

	कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उन्हें सीधे हंस्तारित कतिपय अन्य शिकायतों को माननीय कुलपति के समक्ष विचारार्थ रखा । जिस पर सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि माननीय कुलपति उपरोक्तानुसार एक समिति द्वारा जॉच करवा कर रिपोर्ट को आगामी बैठक में पटल पर रख देगें । सामान्यतया शिकायतें पहले विश्वविद्यालय स्तर पर रखी जाती हैं जिसको विश्वविद्यालय अपने स्तर पर देख कर निर्णय लेता हैं । लेकिन ये प्रकरण सीधे माननीय सदस्यों के पास भेजे दिये गये जिसको विश्वविद्यालय अब देखेगा ।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(एल0एन0गहलोत)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव

(परमात्मा सिंह)
कुलपति एवम् अध्यक्ष